पत्र संख्या–1 / या0–20 / 2013गृ0आ0.................... /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

पटना, दिनांक फरवरी, 2016

विषय :– **स्व0 राजबली सिंह, पिता–स्व0 गरजु सिंह, ग्राम–बिसेनीकला, थाना–राजपुर, जिला–रोहतास की आश्रित पत्नी मो0 समराजो कुँवर को अनुग्रह अनुदान की राशि कुल ₹ 10,00,000.00 (दस लाख रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक–8367, दिनांक 09.12.2015 द्वारा वित्त विभाग के संकल्प सं0–2411 / पटना, दिनांक 12.11.2005 की कंडिका–4 (1) में निहित प्रावधानानुसार चौकीदार–05 / 09 स्व0 राजबली सिंह, पिता–स्व0 गरजु सिंह, ग्राम–बिसेनीकला, थाना–राजपुर, जिला–रोहतास को माओवादी उग्रवादियों द्वारा की गयी हत्या के फलस्वरूप आश्रित पत्नी मो0 समराजो कुँवर को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि कुल ₹ 10,00,000.00 (दस लाख रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना के मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 113–पुलिस कार्मिकों का कल्याण, उपशीर्ष 0006–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष 31 02 अनुग्रह अनुदान तथा विपत्र कोड N2055001130006 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना अंतर्गत सभी व्यय के लिए वित्त विभाग के पत्रांक–5294 / वि0(2) दिनांक 17.06.2015 द्वारा प्रावधानित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, रोहतास, सासाराम से की जायेगी।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद वास्तविक आश्रित को ही किया जाये।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाली सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

12. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

14. वांछित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र छह माह के अंदर समर्पित किया जाये।

15. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1/या0–20/2013गृ0आ0..........पटना, दिनांक फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1/या0–20/2013गृ0आ0.....16.....पटना, दिनांक 08. फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना/मो0 समराजो कुँवर पति स्व0 राजबली सिंह, पिता–स्व0 गरजु सिंह, ग्राम–बिसेनीकला, थाना–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

6.2.16

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव